पूर्व मध्य रेल

परिचालन चेतावनी सं0- 02/2025

OPERATING SAFETY ALERT NO. 02/2025

दिनांक 20.01.2025 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 07108, बनारस से विजयवाड़ा, विशेष गाड़ी, जिसका ठहराव जपला स्टेशन पर था, यह गाड़ी जपला स्टेशन के सिग्नल थ्रू रहने के कारण बिना रुके पास कर गई, जिससे उन यात्रियों को काफी परेशानी हुई, जिन्होंने जपला से जाने अथवा उतरने के लिए टिकट बुक कर रखा था।

उक्त घटना यह इंगित करती है कि सर्वप्रथम स्टेशन मास्टर की लापरवाही के कारण इस रुकने वाली गाड़ी के लिए स्टार्टर सिग्नल ऑन रखा जाना चाहिए था, किंतु स्टार्टर को ऑफ कर रन थ्रू जाने के लिए सिग्नल दिया गया।

द्वितीय, रुकने वाली गाड़ी की समय सारणी लोको पायलट और गार्ड के पास उपलब्ध रहती है, किंतु इन लोगों ने भी बिना समय सारणी को देखे केवल सिग्नल के अनुसार अपनी गाड़ी का संचालन किया ।

तृतीय, खण्ड नियंत्रक द्वारा भी स्टेशन मास्टर को स्पेशल गाड़ी के ठहराव के बारे में समय पर जागरूक नहीं किया गया।

उक्त तीनों में किसी के भी द्वारा यदि सावधानी बरती गई होती तो बनारस - विजयवाड़ा विशेष गाड़ी का ठहराव जपला स्टेशन पर सुनिश्चित किया जा सकता था और यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता था ।

पूर्व में भी इस प्रकार कि घटनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं । इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:-

1. गाड़ी के अधिसूचना के तुरंत बाद उसके ठहराव की सूचना संबंधित स्टेशन को तत्काल दिया जाना चाहिए ।
2. मुख्यालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मंडल कंट्रोल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई और विशेष गाड़ियों, जिनका उल्लेख समय सारणी में नहीं है, से संबंधित कंट्रोल मैसेज उन सभी स्टेशनों पर जहाँ गाड़ी का ठहराव होना है,गाड़ी आने के काफी पहले भेजा जाना चाहिए और इस संबंध में प्राइवेट नंबर का आदान- प्रदान किया जाना चाहिए ताकि समय पूर्व ही गाड़ी के रुकने की सूचना स्टेशन पर उपलब्ध हो और तदनुसार इसे सुनिश्चित किया जा सके।
3. स्टेशन द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इसकी प्रविष्टि स्टेशन डायरी में की जानी चाहिए ताकि अन्य सभी स्टेशन मास्टरों को इसके बारे में जानकारी हो सके । इसके अतिरिक्त, नोटिस बोर्ड पर ऐसी नई गाड़ियों के विवरण सहित ठहराव को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि हो सके तो संबंधित समय सारणी, जो यात्रियों के लिए प्रदर्शित की जाती है, उसमें भी अस्थाई रूप से दिखा दिया जाना चाहिए।
4. लोको पायलट /गार्ड जब भी ऐसी किसी नई गाड़ी में कार्य करना शुरू करें तो ठहराव के बारे में भली-भाँति जानकारी लेकर ही ड्यूटी आरंभ करें और पिछले स्टेशन / पिछले ठहराव स्टेशन से खुलने के बाद अनिवार्य रूप से गार्ड और लोको पायलट आपस में बात कर ठहराव के बारे में एक दूसरे को संसूचित करें ताकि सिग्नल थ्रू रहने पर भी गाड़ियों को रोका जा सके।
5. ट्रेन इंचार्ज होने के कारण गार्ड हर अगले ठहराव के बारे में अनिवार्य रूप से लोको पायलट को बताना सुनिश्चित करें और चौकस रहें ताकि निर्धारित स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके।
6. खण्ड नियंत्रक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी नई अथवा विशेष गाड़ी पहली बार परिचालित की जा रही हो तो संबंधित स्टेशन को गाड़ी के पिछले स्टेशन से चलने के पूर्व ही रुकने की जानकारी दें ताकि ऐसी किसी भूल से बचा जा सके। अन्य गाड़ियों के बारे में भी जहाँ तक संभव हो सके, खण्ड नियंत्रक को स्टेशन द्वारा बात करते समय अगली रुकने वाली गाड़ी के बारे में, पूर्व में स्मरण कराया जाना चाहिए ।
7. सभी क्रू सेल में ऐसी सभी नई और विशेष गाड़ियों, जिनका वर्णन समय सारणी में नहीं है, के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना समय से भेजी जानी चाहिए और संबंधित क्रू सेल के प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका सही रिकॉर्ड बनाया जाये और हर वैसे गार्ड और लोको पायलट को उस गाड़ी के ठहराव की विस्तृत जानकारी चार्ज लेते समय उपलब्ध कराया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

24.1.25

(डॉ ० मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक – 24.01.2025

सं – ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73/505

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ ।
3. मंडल रेल प्रबंधक – धनबाद, डी.डी.यू. , सोनपुर , समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक – धनबाद, डी.डी.यू. , सोनपुर , समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।